[श्री रामानन्द तिवारी]

लेकिन हमारा भी आज चलन उसी रूप में हो रहा है। आज भी हम अपनी भाषा की उपेक्षा कर रहे हैं।

MR. SPEAKER: Why was the Hindi version not made available?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा दोष है, मैं अपना कसूर मानता हूं और अब मिनिस्ट्री से पूछूंगा। मैं मानता हूं कि यह हिन्दी में होना चाहिये था।

12.11 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

INCREASE IN THE TERRORIST ACTIVITIES OF ANAND MARG DURING THE LAST ONE YEAR

श्री रामानन्द तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें।

"प्रधान मंत्री के इस रहस्योद्घाटन कि आनन्दमार्गियों द्वारा उनके पास उनकी हत्या करने के धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे हैं, विदेश मंत्री के वक्तव्य जिसमें उन्होंने आनन्द मार्ग की गतिविधियों को आतंकवादी और गैर-जिम्मेदाराना बताया है और गत वर्ष के दौरान आनन्द मार्ग की आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के कारण उत्पन्न देश में व्यापक चिन्ता के समाचार की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।"

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, with your permission I want to say that a full discussion is very necessary on the terrorist activities of Anand Margis. These are going on on a large scale....

MR. SPEAKER: Please sit down. Let the Home Minister read out the statement.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): Mr. Speaker, Sir, with your permission, I would first read out my statement in English. In fact, I have got only the English version. Then I will translate it into Hindi. Sir, threatening letters are being received from the Anand Marg and its allied organisations abroad demanding the release of its Founder-Head Shri P. R. Sarkar *alias* Anandmurti. On 15th November the Minister of External Affairs had made a statement in the other House furnishing details of attacks on our personnel and damage to property in various stations abroad.

As the members of this House are no doubt aware, Shri P. R. Sarkar was arrested in December, 1971 on charges of conspiracy to commit and abetment of murder of 6 followers of the Anand Marg who had allegedly defected from the organisation. Chargesheet was filed against Shri Sarkar and others in May, 1972 in a Patna Court. The Magistrate committed the case to the Court of Sessions for trial in November, 1972. Shri Sarkar was found guilty of the offences of criminal conspiracy to commit murder, abetment of murder and abetment of the offence of causing disappearance of evidence and sentenced to undergo rigorous imprisonment for life. An appeal against the judgment of the Sessions Court is *subjudice* before the Patna High Court. In these circumstances, there can be no question of Shri P. R. Sarkar's release. The law will have to take its course. It is in this context that terrorist activities have been resorted to by the followers of Shri P. R. Sarkar in an attempt to coerce the Government to release him. Almost all the threats received so far purport to emanate

from the Universal Proutist Revolutionary Federation which openly claims responsibility for the attacks on our personnel and the damage to our property abroad. While the Anand Marg Pracharak Sangh has disclaimed connections with the Universal Proutist Revolutionary Federation, it has not condemned the violence perpetrated. Since only the followers of Shri Sarkar are indulging in threats to secure his release, the public disclaimer of the Anand Marg that it has nothing to do with the Universal Proutist Revolutionary Federation cannot be given too much importance.

The terrorist activities indulged in by the followers of Shri P. R. Sarkar have caused us great concern and have given rise to legitimate misgivings in the public mind. Vigilance has been tightened and all necessary precautions have been taken. Government cannot obviously succumb to such intimidation by a group of misguided people.

MR. SPEAKER: Now, you may explain this in Hindi because some Members may not have followed it.

श्री रामानन्द तिवारी : मैंने समझ लिया है । अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी कार्यवाहियों के माध्यम से सरकार पर दबाव डाल कर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने का जो प्रयास हो रहा है, वह निन्दनीय है । पी० आर० सरकार बांकीपुर जेल में हैं । उन्हें हजारीबाग जेल में स्थानान्तरित किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने तय किया कि मैं नहीं जाऊंगा, और सरकार ने इस मामले को छोड़ दिया । मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सरकार इस तरह चल सकती है, क्या यही हमारा आदर्श है, हम ने जनता को क्या वचन दिया है । जो लोग सरकार और जनता को आतंकित करने के लिए इस तरह के अनुचित और अनैतिक काम कर रहे हैं, वे एक बड़े जघन्य अपराध के दोषी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order. The hon. Member is mentioning about the inability of the Bihar Government to shift P. R. Sarkar, the so-called Anand Murti from Patna jail to Hazaribagh jail. Is it a forum where the State Government can be criticised? We cannot sit on judgement over State Governments' activities.

MR. SPEAKER: He is only mentioning about that; there is no point of order.

श्री रामानन्द तिवारी : अपने उद्देश्य के लिए आनन्द मार्ग का यह आतंक गत अगस्त से अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर निरन्तर चल रहा है और न केवल इस देश में, बल्कि सारी दुनियां में लोगों को टेररराइज किया जा रहा है । जैसा कि गृह मंत्री ने भी बताया है, पर राष्ट्र मंत्री ने राज्य सभा में यह बात स्वीकार की है कि इन घटनाओं से भारत सरकार गम्भीर रूप से चिन्तित है । इससे इस मामले की गम्भीरता स्पष्ट हो जाती है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में अभी तक क्या किया है । हमारे सामने केवल यह प्रश्न नही है कि पी० आर० सरकार छोड़ा जाय, बल्कि प्रश्न यह है कि आनन्द मार्ग के लोग आतंक और भय के द्वारा सरकार से अपनी इच्छा की पूर्ति कराना चाहते हैं ।

यही नहीं, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के पास धमकी भरे पत्र आते हैं । इस बारे में प्रधान मंत्री जी ने पटना के गांधी मैदान में कहा कि यह कितनी लज्जास्पद स्थिति है । गत अगस्त से आनन्द मार्ग के अन्तर्राष्ट्रीय कार्य-कलाप और

[श्री रामानन्द तिवारी]

आतंकपूर्ण कारनामे सामने आ रहे हैं और अखबारों के पन्ने उन समाचारों से भरे रहते हैं। इन कामों के पीछे उन का उद्देश्य यह है कि वे पी० आर० सरकार को जेल से छुड़ाना चाहते हैं। इस मांग के समर्थन में आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नेपाल, न्यूयार्क, वाशिंगटन, पैरिस, स्टाकहोम और हांगकांग स्थित भारतीय दूतावासों में बम फेंके गये हैं। वहां रिवाल्वर चलाया जाता है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ सरकार से जानना चाहता हूं कि अभी तक आप ने कौन सी कार्यवाही की? अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी बदनामी हो रही है। हम कहीं सिर नहीं दिखा सकते हैं। सीना तान कर आज आनन्दमार्गी चल र हैं। इसलिए केवल सरकार के यह कह देने से काम नहीं चलेगा। जैसे, मैंने नाम लिया और भी नाम मैं ले सकता हूं लेकिन सदन का समय नहीं लेना चाहता। जिस संगठन की तरफ से ये धमकियां दी जा रही हैं उस संगठन का नाम है जैसा गृह मंत्री जी ने कहा—यूनिवर्सल प्राउटिस्ट रेवोल्यूशनरी फेडरेशन। उन के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने राजदूतों की रक्षा के लिए क्या किया और इन के लिए क्या किया?

इस संगठन के संस्थापक श्री पी० आर० सरकार हैं, मैं जानता हूं कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फार लाइफ की सजा मिली है। माननीय सदस्य ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया, मैं जानना चाहता हूं, कि यह अन्तर्राष्ट्रीय केस है और राष्ट्रीय केस है और वह एक आदमी हिम्मत करे जो जेल में है, हमारी कस्टडी में है, वह कहे कि हम नहीं जाएंगे और सरकार घुटने टेक दे? मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं हिम्मत दिखाती सरकार जब पी० आर० सरकार यह कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे?

मैंने सरकार का ध्यान इस तरफ इसलिए आकर्षित किया है कि आनन्दमार्गी के संस्थापक के समर्थकों की हिंसापूर्ण कार्यवाहियों को देखते हुए इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि इस के पीछे कोई अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है, अन्यथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी काम नहीं करती तो इन के पास इतना साधन कहां से आता? जनता पार्टी को संसार में बदनाम करने के लिए कोई न कोई अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है। सरकार को इस की छानबीन करनी चाहिए।

साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि यह आनन्द मार्ग गैर-लोकतांत्रिक संगठन है। इन के एक गुरु हैं उन्हीं का आदेश चलना है। यह कोई लोकतांत्रिक संगठन नहीं है। इनके गुरु जो आदेश देते हैं वही ये लोग सब मानते हैं और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम ने लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है। इसलिए मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का काम है, इसमें सरकार सचेत हो और मैं यह मांग करता हूं सरकार से कि वह सख्त से सख्त कार्यवाही करे इन आनन्दमार्गियों पर जिससे इन-की गतिविधियां नियंत्रित हो सकें ताकि जनता में और सारे संसार में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े जिसे वे गिराना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर चाहता हूं।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): This is a serious matter. I ask the Government to ban this organization. The whole Bihar Government is involved here.

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि बिहार गवर्नमेंट ने आनन्दमूर्ति जी को एक जेल से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया तो मुझसे सवाल यह पूछा जाता हैं कि क्यों ऐसा कर दिया गया या उन्होंने मिस्टेक किया ऐसा ट्रांसफर कर के तो पहली बात तो यह आती है कि यह सवाल मुझसे पूछा जा सकता है या नहीं ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: No.

MR. SPEAKER: No. He said that he refuses to be transferred. The point is his refusal.

श्री चरण सिंह : यह मुझको नहीं मालूम है कि वह पहला फैसला या आदेश कौन सी गवर्नमेंट का था। आया प्रेसिडेंट के जमाने में हुआ है या पुरानी कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में हुआ है या इस गवर्नमेंट के जमाने में हुआ है, यह मैं मालूम कर लूंगा। लेकिन मुझको यह मालूम हुआ है कि उस पुराने आदेश पर मौजूदा बिहार सरकार पुर्नविचार कर रही है। इस से यह जाहिर हुआ है कि अभी वह वहां भेजे नहीं गए हैं।

अब रहा यह कि जो कुछ तिवारी जी ने बाद म कहा है जितने भी उन्होंने मशविरे वगैरह की बात कही देश के हित के सिलसिले में कि इस तरह के थेटस और दबाव या आतंक या डर की वजह से गवर्नमेंट को आत्म-समर्पण नहीं करना चाहिए, उसे कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, मैं पूर्णतया उन से सहमत हूं, जो कुछ उन्होंने कहा, 99 फीसदी उस से सहमत हूं।

अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ? तो गवर्नमेंट के पास जो एजेंसी है उसी से गवर्नमेंट ने कहा है कि यह तैयारी करनी है, यह तैयारी करनी है, यह तैयारी करनी है। जो उस सिलसिले में यहां से आदेश गए हैं वह पुलिस के लोगों को गए हैं, होम सेक्रेटरी को गए हैं हर स्टेट में और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं उस को गए हैं। जो और अपनी एजेन्सीज हैं उन सभी से कहा गया है कि उन्हें बहुत सावधान रहना है, बहुत सचेष्ट रहना है और किसी तरह की कोई गफलत वगैरह उन में नहीं होनी चाहिए। बाहर से जो लोग आते हैं उनकी भी पूरी तरह से छान बीन करनी है कि कोई आदमी इस तरह का आतंकवादी या आनन्दमार्ग का जो आर्गेनाईजेशन है उससे सम्बन्ध रखने वाला तो नहीं है, वह यहां पर आया क्यों और क्या-क्या कर रहा है। मैं समझता हूं उसकी तफसील यहां हाउस में बताना शायद जनहित में नहीं होगा लेकिन जहां तक मुमकिन है वह किया जा रहा है।

मुझे खुशी होगी अगर तिवारी जी कोई ऐसी बात बतला सकें, कोई सुझाव दे सकें इस सिलसिले में या और कोई भी माननीय सदस्य मुझ को कोई सुझाव दे सकें कि इसका मुकाबला इस प्रकार से किया जा सकता है तो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी और अगर काबिले अमल सुझाव हुआ तो उस पर अमल भी करेगी।

श्री रामानन्द तिवारी : मैं यह निवेदन करता हूं कि जितने भी आनन्द-मार्गी हिन्दुस्तान से गये हुये हैं उनके पासपोर्ट कैंसिल करके उनको वापिस देश में बुलाया जाये। और भी मैं सुझाव दूंगा।

श्री चरण सिंह : मैंने माननीय सदस्य की बात सुन ली है और उस पर विचार करूंगा।